

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढ़वाल ( आर0ए0एस0 )  
मिसल न0- 29/2023

अनवान :-

1. वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1. झाबरराम पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर हनुमानगढ
2. अंजना पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
3. अजय पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
4. नाबालिग नितिका पुत्री प्रेमकुमार जरिये संरक्षक माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
5. नाबालिग नितिन पुत्र प्रेमकुमार जरिये संरक्षक माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
6. मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
7. बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
8. मुंशीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
9. रामेश्वरलाल पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
10. विक्रम पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

12. बिमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
13. मंशीराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर

-तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक, सायल  
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गै.सा न0 1  
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गै.सा.न0 2

निर्णय दिनांक : 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की

रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 7/6 की कुल 7.5900हैक् भूमि में सायल का 2/5 हिस्सा , तरतीबी गैरसायल संख्या 12 का 1/5 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 13 का 2/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 के कुल 4.4270हैक् भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 12 ,13 की भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 7/6 की कुल 7.5900हैक् मे आवागमन के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिससे भूमि काश्त करने में भारी परेशानी होती है सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 12 ,13 एव गैरसायल संख्या 1 ता 10 की भूमि चिपती हुई है इसलिये सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्धा रास्ता से होता हुए गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 के प0न0 378/459(261) के किला न0 26 के मिन पूर्व की 0. 013हैक् में से होकर अपने खेत प0न0 378/459(261) के किला न0 16 में प्रवेश कर जाते

है यही राजस्व सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उपयुक्त सुविधाजनक नजदीकी रास्ता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

सायल उक्त रास्ते के बदले में सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 12, 13 अपनी भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी में से भूमि गैरसायल की भूमि के चिपते हुए देने का तैयार है या बाराज भाव से राशि देने के लिये भी तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299(261) के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ता 8, 10 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैरसायल संख्या 1, 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर गैरसायल संख्या 1 ने सायल के कथनों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायल ने कौनसी दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है का विवरण अंकित नहीं किया गया है तथा प्रार्थी का कभी भी किला न0 25 में आवागमन नहीं रहा है रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 378/459(261) के किला न0 24 की पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत कर बदले में चिपती हुई जमीन दी जावे यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 12, 13 की भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 7/6 की कुल 7.5900हैक् में आवागमन के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिससे भूमि काश्त करने में भारी परेशानी होती है सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 12, 13 एवं गैरसायल संख्या 1 ता 10 की भूमि चिपती हुई है इसलिये सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्धा रास्ता से होता हुए गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 के प0न0 378/459(261) के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013हैक् में से होकर अपने खेत प0न0 378/459(261) के किला न0 16 में प्रवेश कर जाते हैं यही राजस्व सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उपयुक्त सुविधाजनक नजदीकी रास्ता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।


गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल ने कभी भी रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 378/459(261) के किला न0 25 में से कभी भी आवागमन नहीं किया गया है ना ही वर्तमान में किया जा रहा है सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है फिर भी रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 379/459 मु0न0 261 के किला न0 24 की पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता दिया जाकर रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि दिलवाने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 7/6 की कुल 7.5900हैक् भूमि में सायल का 2/5 हिस्सा, तरतीबी गैरसायल संख्या 12 का 1/5 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 13 का 2/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 के कुल 4.4270हैक् भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है अर्थात् सायल व गैरसायल एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है सायल ने अपनी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 378/459(261) के किला न0 25 में मिन पूर्व की 0.013हैक् रास्ता आवागमन हेतु चाहा गया है किन्तु गैरसायल किला न0 24 में से रास्ता देने के लिये सहमत है।

सायल ने अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ता की मांग की गई सायल की भूमि स्वीकृतशुद्धा रास्ता से एक किला दुरी पर है सायल का उसकी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना है जो गेरसायल देने के लिये सहमत भी है गैरसायल की सहमति के अनुसार रास्ता सायल अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु दिया जाना उचित है ताकि आपस में काश्तकारों का विवाद ना बढ सके।

उपरोक्त विवचेन अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गेरसायल के द्वारा सहमति दिये जाने वाले रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः सायल का प्रार्थना पत्र गेरसायल की सहमति के अनुसार स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 378/459 (261) के किला न0 24 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ)

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में  
प्रार्थना-पत्र सं० 29/2023 निर्णय दिनांक 11/03/25

अनवान :-

1. वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्


1. झाबरराम पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर हनुमानगढ
2. अंजना पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
3. अजय पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
4. नाबालिग नितिका पुत्री प्रेमकुमार जरिये संरक्षक माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
5. नाबालिग नितिन पुत्र प्रेमकुमार जरिये संरक्षक माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
6. मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
7. बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
8. मुंशीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
9. रामेश्वरलाल पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
10. विक्रम पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी चक 11 बारानी तहसील नोहर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

12. बिमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
13. मंशीराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर

-तरतबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प०न० 378/459 (261) के किला न० 24 की पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व) नोहर